न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 02/2022 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

GCMS No. 2022/155

रूपाराम पुत्र धौंकलराम जाति जाट निवासी जालपा कॉलेज के पिछे, सरस्वती नगर, वार्ड नम्बर 20, तारानगर जिला चूरू।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र च्यानणमल जाति अग्रवाल निवासी बजाज मोटर साईकिल एजेन्सी के पास, वार्ड नम्बर 20, तारानगर जिला चूरू।
2. नगर पालिका, तारानगर जिला चूरू।
3. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, तारानगर जिला चूरू।
4. स्टेट जरिये तहसीलदार, तारानगर जिला चूरू।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः	श्री नरसाराम जाखड़	–अभिभाषक अपीलांट
	श्री प्रहलाद जाखड	–अभिभाषक अपीलांट
	राजकीय अभिभाषक	–मो. इम्तियाज अली

निर्णय

दिनांक 06.12.2022

यह अपील राजस्थान राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 (ख) के अन्तर्गत नगर पालिका मण्डल, तारानगर, चूरू के पट्टा क्रमांक 319 दिनांक 20.03.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– विवादित भूमि कस्बा तारानगर जिला चूरू के खसरा नंबर 776 की तादादी 53 बीघा 16 बिस्वा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त सड़क की चौड़ाई 150 फुट यानि कि सड़क के मध्य से दोनों तरफ 75–75 फुट निर्धारित है। सड़क के दोनों और आवासीय कॉलोनिया विकसित है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 नगर पालिका तारानगर ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम पट्टा क्रमांक 319 दिनांक 20.03.2013 सड़क के मध्य से 75 फुट के

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

स्थान पर 55 फुट पर ही पट्टा जारी कर दिया। उक्त 20 फुट भूमि राजस्व रेकॉर्ड में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम अंकित है, जो 20 फुट की हद तक निरस्त योग्य है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 नगर पालिका तारानगर को उक्त 20 फुट भूमि के बाबत किसी भी प्रकार के नियमन के अधिकार नहीं थे फिर भी रेस्पोन्डेट सं.1 सुरेन्द्र कुमार पुत्र च्यानणमल के नाम पट्टा क्रमांक 319 दिनांक 20.03.2013 जारी कर दिया। उक्त पट्टा क्रमांक 319 दिनांक 20.03.2013 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– अभिभाषकगण अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित प्रकरण में अभिभाषकगण अपीलांट के आग्रह पर आज बहस सुनी गई।

3– अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा धारा 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर हितबध्द एवं आवश्यक पक्षकार होने की स्वीकृति चाही है। प्रार्थना–पत्र में प्रस्तुत किए गए तथ्यों को सही मानते हुए अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अपील के संलग्न मियाद अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील को मियाद में शुमार किया जाता है।

4– विद्वान अभिभाषकगण अपीलांट श्री नरसाराम जाखड़ एवं प्रहलाद जाखड़ ने अपनी बहस में कथन किया है कि कस्बा तारानगर जिला चुरू के खसरा नंबर 776 की तादादी 53 बीघा 16 बिस्वा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क के रूप में राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। उक्त सड़क की चौड़ाई 150 फुट यानि कि सड़क के मध्य से दोनों तरफ 75–75 फुट निर्धारित है। सड़क के दोनों और आवासीय कॉलोनिया विकसित है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम से उसके आवेदन पर पट्टा क्रमांक 319 दिनांक 20.03.2013 को रेस्पोडेंट संख्या 2 के द्वारा गैर कानूनी तरीके से अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नियम व कानून के विरूद्ध सड़क बाउन्ड्री मध्य से 75 फुट के स्थान पर 55 फुट पर ही उक्त पट्टा जारी कर दिया है जो पूर्णतया: विधि विरूद्ध होने के कारण 20 फुट की हद तक निरस्त योग्य है। नगर पालिका, तारानगर के द्वारा जो पट्टा क्रमांक 319 दिनांक 20.03.2013 सड़क के मध्य से 75 फुट के स्थान पर 55 फुट छोड़ कर जारी किया गया है, उक्त 20 फुट भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि है। सरकारी सड़को एवं राष्ट्रीय राज मार्गों के बाबत भारत सरकार व राज्य सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय ने भी अनेकों न्यायिक दृष्टांतो से सुचित किया जा चुका है कि सड़क सीमा की भूमि पर किसी भी ऑथोरिटी को

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पट्टा, आवंटन पत्र, लीजडीड, आदि जारी करने का कोई अधिकार नहीं है, यदि फिर भी सड़क बाउन्ड्री की भूमि पर यदि कोई पट्टा जारी किए गए है तो उन्हे अवैध एवं शुन्य समझा जावे, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नगर पालिका तारानगर के पट्टा क्रमांक 319 दिनांक 20.03.2013 को निरस्त किया जावे।

5— विद्वान राजकीय अभिभाषक मो. इम्तियाज अली ने बहस के दौरान कथन किया कि नगर पालिका तारानगर द्वारा जारी पट्टा क्रमांक 319 दिनांक 20.03.2013 नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर जारी किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। सुरेन्द्र कुमार पुत्र च्यानणमल के नाम से जारी पट्टा क्रमांक 319 दिनांक 20.03.2013 को नगर पलिका तारानगर के द्वारा सड़क बाउन्ड्री मध्य से 75 फुट के स्थान पर 55 फुट पर ही उक्त पट्टा जारी कर दिया है जो उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः अपील अपीलांट आशिक स्वीकार करते हुए नगर पालिका तारानगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि प्रकरण में नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

7— तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06.12.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर